न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 08 / 2023(GCMS : 2023/127)

मीना चौधरी पत्नी स्व. मेहरचन्द जाखड़ जाति जाट आयु करीब 76 वर्ष निवासी मकान नम्बर 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर

—— अपीलार्थी

बनाम

1. **रविन्द्र कुमार जाखड़** पुत्र श्री मेहरचन्द जाखड़ जाति जाट निवासी मकान नम्बर 350, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये **उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—— रेस्पोडेंट

18.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थिया श्रीमती मीना चौधरी एवं अप्रार्थी रविन्द्र कुमार जाखड़ स्वयं उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अपीलार्थिया श्रीमती मीना चौधरी ने अपनी बहस में कथन किया कि वह मकान नम्बर 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर की एकल स्वामी व स्थाई निवासी है तथा वृद्ध व बीमार महिला है, जिसके दो पुत्र है, बड़ा पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 01 है तथा छोटा पुत्र मनिन्द्र जाखड़ है, जो कि अलग मकान में रहता है तथा रेस्पोडेंट संख्या 01, प्रार्थीया के एकल स्वामित्व के मकान में ही अपने परिवार सहित रहता है और उसे गन्दी गन्दी गालियां देते तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे कहते है कि किसी दिन बुढिया का सोई हुई का गला दबा देगें और सारी सम्पत्ति को हड़प लेंगे। प्रार्थीया के आंगन में लगे लोहे के जाल में मिट्टी डाल देते है और मेन गेट पर ताला लगा देते है, जिसकी चाबी उसे नहीं देते है। रेस्पोडेंट एवं उसकी पत्नी के द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार से उसका अपने ही मकान में रहना असम्भव हो गया है, इसलिए उसके मकान को खाली कर कब्जा अपीलार्थिया को [illegible] प्रार्थि[illegible] है।

उनका आगे यह भी कथन है कि 3[illegible] विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर की सम्पत्ति प्रार्थीया की एकल स्वामित्व की [illegible] है जो सम्पत्ति प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा वर्ष 2004 में [illegible]रीद की गयी थी और [illegible]वेज बैयनामा की फोटो प्रति अदालत की पत्रावली में मौजूद है। रेस्पोडेंट संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

01 व उसके परिवार के लोग उसे तंग परेशन व गाली गलौच करते है, जिससे प्रार्थीया के जीवन को खतरा है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 01, प्रार्थीया के इच्छा के विरूद्ध प्रार्थीया के एकल स्वामित्व के मकान में नहीं रह सकता। इसलिए रेस्पोडेंट संखय 01 को प्रार्थीय के मकान नम्बर 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर से हटाये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

उनका का आगे यह भी कथन है कि उक्त वादग्रस्त मकान नम्बर 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर जो अपीलांटा का है, वह पारिवारिक बंटवारामा से रेस्पोडेंट संख्या 01 को दे दिया गया है। इस प्रलेख की नकल भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी परन्तु इस प्रलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका निष्पादन इस आश्वासन पर ही हुआ था कि रेस्पोडेंट संख्या 01 पुत्र होने के नाते अपीलांटा को अपने मकान में रहने की स्वतन्त्रता व गुजारा भत्ता देगा और उसके रहने में कोई दखल किसी प्रकार से नहीं देगा, परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया और अपीलार्थिया को अन्य अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं मानने का गलत आदेश पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2023 को किया है और निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थीया माह जून 2023 से दो हजार रूपये माहवार रेस्पोडेंट संख्या 01 से प्राप्त करेगी जबकि भरणपोषण राशि न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायरी की दिनांक से ही दिलवाया जाना चाहिए था। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करते समय कानूनी बिन्दुओं एवं तथ्यों को नजरअन्दाज किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि मकान नम्बर 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर प्रार्थीया की स्वयं की खरीदशुदा एकल स्वामित्व की सम्पत्ति है,

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

संयुक्त परिवार की नहीं है और उक्त सम्पत्ति में रेस्पोडेंट संख्या 01 प्रार्थीया की इच्छा के विरूद्ध रह रहा है और रेस्पोडेंट संखय 01 अपने परिवार सहित प्रार्थीया को तंग परेशान करता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2023 को आंशिक निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 1 को यह आदेश दिया जावे कि प्रार्थीया के मकान नम्बर 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर को खाली कर अपना सामान अन्यत्र स्थान पर ले जावे तथा गुजारा भत्ता की राशि बढ़ाई जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से गुजारा भत्ता दिलवाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वह 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर में अपनी पत्नी व पुत्री के साथ निवास करता है। उसकी पत्नी व पुत्री के साथ उक्त मकान में अपना सामान व अन्य वस्तुएं भी रखे है और अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007 में न्यायालय को पुत्रवधु के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश उसके विरूद्ध तय किये जाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ना ही उसे पक्षकार बनाया जा सकता है, ऐसी सूरत में अधिकरण इस प्रकार के आदेश अपीलार्थिया के पक्ष में जारी नहीं कर सकती,इसलिए अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी के जीवन काल में ही पारस्परिक सहमति से पारिवारिक व्यवस्थापन्न दस्तावेज का निष्पादन हो गया था, जिसके तहत समस्त पक्षकारों द्वारा अपना—अपना हिस्से पर काबिज व मालिक थे, हस्तगत सम्पति रेस्पोडेंट/अप्रार्थी मालिक व काबिज है और आपसी पारिवारिक सहमति से जो पारस्परिक व्यवस्थापन्न पत्र निष्पादित हुआ, उक्त निष्पादित पारिवारिक व्यवस्थापन्न की पालना किया गया और इसमें से कुछ सम्पत्तियां जो कि अप्रार्थी के भाई और अपीलार्थीया का पुत्र है और उसके द्वारा बेचान भी कर दी गई। उक्त आवेदन अपीलार्थीया द्वारा उसे तंग परेशान करने के आशय से ही प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि वह अपनी माता का पूर्ण देखभाल कर रहा है और कभी कोई अपने दायित्वों में लापरवाही नहीं बरतता बल्कि अप्रार्थी विवाह के उपरांत से ही अप्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और मात्र अप्रार्थी पर अनुचित दबाव बनाने के लिए विधि का दुरूपयोग कर उक्त अपील प्रस्तुत की है, इसलिए अपील निरस्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के पिता की मृत्यु के उपरान्त उन्हे पेंशन स्वरूप राशि 40,000/– रूपये प्रतिमाह प्राप्त होते है, उक्त तथ्य अंकित नहीं कियें, अगर उक्त तथ्य अंकित करने से समस्त वस्तुस्थिति श्रीमान्जी के समक्ष आ जायेगी और किसी प्रकार का अनुतोष प्रार्थीया प्राप्त नहीं कर सकती।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी अपने परिवार, पत्नी, बच्चों सहित उक्त मकान के प्रथम तल पर निवास कर रहा है और विधि का भी सुस्थापित सिद्धांत है कि शांतिपूर्ण रूप से निवास करने की सूरत में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अप्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थी की माता, अप्रार्थी की पत्नी को उक्त मकान से बेदखल करना चाहती है,जबकि अप्रार्थी की पत्नी को उनके द्वारा हस्तगत मामलें में पक्षकार नहीं बनाया गया। अप्रार्थी की माता द्वारा मात्र विधि का दुरूपयोग किया जा रहा है और उक्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति थी जिस संबंध में आपसी पारस्परिक मौखिक बंटवारा होने के उपरांत यादाश्त हेतु भी पारिवारिक बंटवारानामा निष्पादित किया गया था, जिसमें समस्त सम्पत्तियों का ब्यौरा था। बंटवारानामा होने के उपरान्त उक्त सम्पत्ति अप्रार्थी के हिस्से में आई, जिसका वह मालिक व काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति का जो विभाजन हुआ उस अनुसार अन्य सम्पतियां जो परिवार के अन्य

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सदस्यों के नाम आई, उक्त सम्पत्तियां परिवार के अन्य सदस्यों के पास है और वर्तमान में उसमें से कुछ सम्पत्तियां प्रार्थीया के नाम से थी और परिवारिक बंटवारा अनुसार उक्त सम्पत्तियां का विक्रय प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के अन्य पुत्र को विक्रय कर राशि भी अदा कर दी। जिस सम्बन्ध मे संयुक्त हिन्दु परिवार के विभाजन उपरांत दुकान नं. 56, इन्द्रा वाटिका के पीछे, साईज 10 गुणा 15 फीट का विक्रय कर दिया गया तथा मकान नं. 49, सुदामा नगर साईज 20 गुणा 40 फुट का विक्रय कर प्रार्थीया के अन्य पुत्र को अदा कर दी। प्रार्थीया हस्तगत मकान को अपने छोटे पुत्र को देना चाहती है, जिस पर अप्रार्थी द्वारा ऐतराज करने पर प्रार्थीया ने हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के भाई की पत्नी द्वारा प्रार्थीया व परिवार के अन्य सदस्यों के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना का मामला हनुमानगढ़ में दर्ज करवाया था, जिसमें प्रार्थी का भाई का पुलिस द्वारा जांच के उपरांत आरोपी माना, जिसका विचारण चल रहा है। वर्तमान में राजीनामा के चलते व अपने परिवार के साथ अलग निवास कर रहे है परन्तु अप्रार्थी अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रार्थीया के साथ ही निवास कर रहा है। हर तरह की सुख–सुविधा व दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी की पुत्री पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई है जिस संबंध में अप्रार्थी ने 32 लाख रूपये का ऋण ले रखा है जिसके चलते अप्रार्थी की आर्थिक स्थिति सहीं नहीं है और अप्रार्थी का पुत्र भी अपनी पढ़ाई कर रहा है। जहां तक कृषि भूमि की आय का प्रश्न है, पारिवारिक बंटवारे में दोनों भाईयों को आधी–आधी मिली हुई है। प्रार्थीया द्वारा जानबूझकर अप्रार्थी को ही पक्षकार बनाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी, अपीलार्थीया का पुत्र होने के नाते अपीलांट को अपने मकान में रहने की स्वतंत्रता व गुजारा भत्ता देगा

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

और कोई दखलअंदाजी नहीं करेगा। अपीलार्थिया मात्र अप्रार्थी व उसके परिवार पर दबाव बनाने के आश्य से हस्तगत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में वह, अपीलार्थीया के खाते में राशि जमा करवा देता है और इसके अलावा भी अप्रार्थी जो भी उसका दायित्व है, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीया मीना चौधरी ने रेस्पोडेंट संख्या–01 रविन्द्र कुमार के विरूद्ध अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनिमय 2007 के तहत एक प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया था कि प्रार्थी वृद्ध व बीमार महिला है, जिसके दो पुत्र है, बड़ा पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 01 है तथा छोटा पुत्र मनिन्द्र जाखड़ है, जो कि अलग मकान में रहता है। रेस्पोडेंट संख्या 01 और उसकी पत्नी कृष्णा, अपीलार्थीया के साथ दुर्व्यवहार करते है। 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर की सम्पत्ति प्रार्थीया की एकल स्वामित्व की सम्पत्ति है जो सम्पत्ति प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा वर्ष 2004 में खरीद की गयी थी और दस्तावेज बैयनामा की फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का सही ढंग से अवलोकन ही नहीं किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने की प्रार्थना की है और अपीलांट ने अपने मकान नम्बर 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर को खाली कर अन्यत्र स्थान पर ले जाने एवं गुजारा भत्ता राशि बढाये जाये जाने का अनुतोष चाहा है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** प्रार्थीगण माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 [illegible] अन्तर्गत उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष [illegible] हुआ जिसमें उनके द्वारा दिनांक 15.06.2023 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्नक एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मय संलग्नक का अवलोकन किया गया। भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी, प्रार्थीया का पुत्र होने के कारण अप्रार्थी का दायित्व बनता है कि वह प्रार्थीया (अपनी माता) का भरण पोषण करें। अतः अप्रार्थी 1, प्रार्थीया को उसकी जरूरत के हिसाब से एवं उसके भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए माह जून 2023 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 2,000/— रूपये अखरे दो हजार रूपये, प्रार्थीया को अदा करेगा। उक्त राशि अप्रार्थी को प्रार्थीया के बैंक खाते में जमा करवानी होगी। जिसके लिए प्रार्थीया अपना बैंक खाता अपने स्तर पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगी। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थीया को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे। अन्य कोई अनुतोष देय नहीं है।

अतः आदेश की प्रति तहसीलदार एवं कार्यालय मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की एक—एक प्रति प्रार्थीया एवं अप्रार्थी को भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तक़मील दफ्तर दाख़िल हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जानर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-sd-
(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.06.2023 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2022 में आंशिक संशोधन

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कर **अपीलार्थी को प्रत्यर्थी से गुजारा भत्ता राशि बढाई जाने तथा अपीलार्थी के मकान नम्बर 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर जिस पर प्रत्यर्थी निवास कर रहा है, को खाली करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय **है:**

> **2(क) ''सन्तान'' के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**
>
> **2(ख) ''भरण पोषण'' के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है **इसलिए अपीलार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की वधु से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

जहां तक मकान संख्या 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर में अपीलार्थीया भू–तल पर निवास कर रही है और रेस्पोडेंट संख्या 01 रविन्द्र कुमार, उक्त मकान के प्रथम तल पर निवास कर रहा है। पत्रावली में उपलब्ध बैयनामा दिनांक 23.08.2004 के आधार पर उक्त मकान संख्या 350 विनाबा बस्ती, श्रीगंगानगर अपीलार्थी मीना चौधरी का स्वयं का खरीद किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में [illegible] पारस्परिक सहमति से पारिवारिक व्यवस्थापन दिनांक 09.05.2015 के अनुसार मेहरचन्द पुत्र श्री चेतनराम एवं मीना चौधरी पत्नी श्री मेहरचन्द ने अपने दोनों पुत्रों रविन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कुमार जाखड़ एवं मनिन्द्र सिंह जाखड़ के बीच अपनी समस्त सम्पत्ति का बंटवारा किया गया था। पारस्परिक सहमति से पारिवारिक व्यवस्थापन दिनांक 09.05.2015 के अनुसार प्रार्थीगण मेहरचन्द एवं मीना चौधरी और परिवार के अन्य सदस्यों के पास कुल 15 सम्पत्तिया थी। उक्त 15 सम्पत्तियों में से मकान नम्बर 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर एवं कृषि भूमि चक 1 ई ई ए–सैकेण्ड तहसील, पदमपुर में 35 बीघा भूमि अपने पुत्र रविन्द्र कुमार के नाम की थी तथा दुकान नं. 35, बींझबायला, मकान नं. 41, सुदामा नगर, श्रीगंगानगर, दुकान नम्बर 56, इन्द्रा वाटिका, श्रीगंगानगर एवं चक 1 पीपी तहसील पदमपुर में 38 बीघा नहरी भूमि अपने पुत्र मनिन्द्र सिंह जाखड़ के नाम की थी तथा शेष सम्पत्तियां रिहायशी मकान नम्बर 564, 565, 566 घमूडवाली, दुकान नम्बर 3 घमूडवाली, प्लॉट नम्बर 96 घमूडवाली त्रिभुजाकार प्लॉट स्थित वाके घमूडवाली, चक 1 पीपी तहसील पदमपुर ग्राम पंचायत घमूड़वाली स्थित रिहायशी प्लॉट नम्बर 11, 132, 142, 14 एवं अन्य प्लॉट साईज 50 गुणा 80, प्लॉट नम्बर 640, बाजीगरों के पास कॉलोनी में, घमूडवाली, प्लॉट वाके घमूड़वाली साईज 45 गुणा 70 फुट को दोनों पुत्रों रविन्द्र कुमार एवं मनिन्द्र सिंह जाखड के नाम की गई थी।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत माता–पिता अपनी संतानों से भरण पोषण नियमानुसार प्राप्त करने का हकदार हो सकते है और अगर कोई सम्पत्ति भरण पोषण की शर्त के अधीन दी गई हो तो भरण पोषण न दिये जाने की सूरत में उस सम्पत्ति से संतानों को बेदखल किया जा सकता है।

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या उक्त अधिनियम माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थीगण मकान नम्बर 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर से रेस्पोडेंट रविन्द्र कुमार को बेदखल करवा सकते है अथवा नहीं?

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थीया ने अपने अपील पत्र में रेस्पोडेंट रविन्द्र कुमार से अपने उक्त मकान संख्या 350 विनोबा बस्ती बेदखल करने की प्रार्थना की है। अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार जहां वरिष्ठ नागरिक द्वारा कोई सम्पत्ति भरण पोषण प्राप्त करने की शर्त के अधीन दी गई हो तो ऐसा अन्तरण **भरण पोषण न करने की सूरत में ही शून्य हो सकता है।** इस प्रकरण में अपीलार्थियां श्रीमती मीना चौधरी पत्नी मेहरचन्द एवं मेहरचन्द पुत्र श्री चेतनराम द्वारा दिनांक 09.05.2015 को पारस्परिक सममति से पारिवारिक व्यवस्थापन्न के आधार पर अपनी लगभग 15 सम्पत्तियों, अपने दोनों पुत्रों रविन्द्र कुमार जाखड़ एवं मनिन्द्र सिंह जाखड़ के मध्य किया गया था। उक्त समस्त सम्पत्तियों मे से अपीलार्थीया मीना चौधरी द्वारा मात्र मकान नम्बर 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर जो पारस्परिक सहमति से पारिवारिक व्यवस्थापन दिनांक 09.05.2015 के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 01 – रविन्द्र कुमार के नाम से किया गया था जबकि अपीलार्थीया एवं उनके पति स्व. श्री मेहरचन्द के नाम से अन्य सम्पत्ति भी थी, जिसका अपीलार्थीयां ने कोई जिक्र नहीं किया और न ही अपीलार्थीया ने अपने दूसरे पुत्र मनिन्द्र सिंह जाखड़ से किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की गई है।

उक्त विवादित मकान संख्या 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर बैयनामा दिनांक 23.08.2004 के आधार पर अपीलार्थीया मीना चौधरी की स्वः अर्जित सम्पत्ति है और पारस्परिक सहमति से पारिवारिक व्यवस्थापन्न दिनांक 09.05.2015 के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 01–रविन्द्र कुमार को दी गई है। अपीलार्थीयां द्वारा अपने अन्य पुत्र मनिन्द्र सिंह जाखड से किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नही की गई है और पारस्परिक सहमति से पारिवारिक व्यवस्थापन्न दिनांक 09.05.2015 में अंकित समस्त सम्पत्तियों को कोई जिक्र नहीं किया गया है। अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का **भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) एवं (2) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

23(1) जहां कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसमें इस अधिनियम के आरंभ के पश्चात् अपनी सम्पत्ति का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अंतरिती, अंतरक को बुनियादी सुख–सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसा अंतरिती ऐसी सुख सुविधाओं तथा भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इंकार करेगा या असफल रहेगा तो संपत्ति का उक्त अंतरण कपट या प्रपीड़न या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।

(2) जहां किसी वरिष्ठ नागरिकों को किसी संपदा से भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उसक भाग अंतरित कर दिया जाता है, यदि अंतरिती की उस अधिकार की जानकारी है या, यदि अंतरण बिना प्रतिफल के है तो भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार अंतरितों के विरूद्ध प्रवृत किया जा सकेगा, न कि उस अंतरिती के विरूद्ध जो प्रतिफल के लिए है और जिसके पास अधिकार की सूचना नहीं है।

उक्त विवेचन एवं अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, अपीलार्थी अथवा रेस्पोडेंट की है, इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा ही विचार किया जा सकता है, इसलिए उक्त मकान संख्या 350 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित अपीलार्थिया का बिन्दु खारिज किया जाता है। अपीलार्थीया उक्त बिन्दु के सम्बन्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतन्त्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र रेस्पोडेंट रविन्द्र कुमार से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है:

> 4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–
> (1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–
> (i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।
> (ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।
> (2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।
> (3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।
> (4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगा:
>
> परन्तु जहां एक से अधिक ऐसे सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:46:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में **धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है।** प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है प्रार्थीया के पति स्पोर्टस काउसिंल में सेवारत थे, जिनके देहान्त के पश्चात् प्रार्थीया को कुछ पेन्शन मिलती थी, लेकिन अगस्त 2021 से वह पेन्शन बंद हो चुकी है और प्रार्थीया को उसके हिस्से की कृषि भूमि से होने वाली आय का भी कोई भार उसे नहीं दिया जा रहा है। रेस्पोडेंट ने अपने जवाब में अंकित किया है कि अपीलार्थिया को पेंशन स्वरूप 40,000/– प्रतिमाह प्राप्त होते है, किन्तु उनके द्वारा इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2023 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण पोषण/गुजारा भत्ता बढाये जाने की मांग भी की है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट के माता श्रीमती मीना चौधरी एवं पिता स्वं श्री मेहरचन्द ने अपनी समस्त अपने दोनों पुत्रों रविन्द्र कुमार और मनिन्द्र सिंह जाखड़ में पारस्परिक सहमति से पारिवारिक व्यवस्थापन्न दिनांक 09.05.2015 बराबर बराबर बंटवारानामा किया है और माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थी का अपीलार्थीया के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 01 रविन्द्र कुमार एवं अपीलार्थीया के पुत्र मनिन्द्र सिंह जाखड़ को आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक 5000/– रूपये प्रतिमाह अपीलार्थिया के बैंक खाते में जमा करवायेगा। अपीलार्थीया के दोनों पुत्र उक्त राशि माह जुलाई 2023 से अपीलार्थीयां के खाते में जमा करवायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे। अप्रार्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान न करें, अपशब्द न कहें, अच्छा व्यवहार करें और नम्रता से पेश आयें।

अतः उक्त विवेचन एवं कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भी भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested